न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 25/2020/दावा 136 एलआरएक्ट

किशोर कुमार शर्मा पुत्र स्व. गणपतलाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—वादी

ब ना म

राज्य सरकार जरिये: तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

— प्रतिवादी

दावा बाबत रिकार्ड एवं दुरूस्ती उद्घोषणा

उपस्थिति—

1. श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत वकील वादी की ओर सें।

नि र्ण य दिनांक — 12.07.2021

1. वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 858, 860, 861 किता 3 कुल रकबा 0.42 है0 एवं ख.नं. 3155/3907, 4162/3155 किता 2 कुल रकबा 1.3500 है0 तथा ख.नं. 463 रकबा 0.0100 है0 वाके ग्राम खाटूश्यामजी तह0 दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित है। उक्त भूमि वादी/प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है। जिसका वादी रिकार्डेड खातेदार है तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर काबिज काश्तकार है। वादी के जन्म के पश्चात बाल्यवस्था में वादी को घर पर प्यार से माता—पिता व दादा—दादी एवं अन्य परिवारजन द्वारा रामकिशोर के नाम से पुकारना शुरू कर दिया तथा बाल्यवस्था में घर पर प्रार्थी/वादी को रामकिशोर के नाम से पुकारने के कारण राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामकिशोर दर्ज करवा दिया गया जबकि वादी का नाम अन्य दस्तावेजो जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं भामाशाह कार्ड में वादी का नाम किशोरकुमार शर्मा बदस्तूर अंकित चला आ रहा है। किशोरकुमार व रामकिशोर दोनों नाम एक ही व्यक्ति (वादी) के है तथा वादी के उपरोक्त कथन के समर्थन में ग्राम पंचायत खाटूश्यामजी द्वारा जारी वारिश प्रमाण पत्र एवं नगरपालिका खाटूश्यामजी द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी इस कथन की पुष्टी की गयी है कि किशोर कुमार व रामकिशोर दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामकिशोर दर्ज है, जो कि उपरोक्त वजह से सहवन से दर्ज चला आ रहा है, जबकि अन्य समस्त दस्तावेज व रिकार्ड में वादी का नाम किशोर कुमार शर्मा दर्ज है, इसलिए वादी का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेज में भिन्न भिन्न

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ़

होने के कारण वादी अपने हिस्से की खातेदारी की भूमि को विकसित करने की कार्यवाही करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। जिससे वादी को अपूर्तनीय क्षति हो रही है, इसजिए वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम किशोर कुमार शर्मा दर्ज करवाने की रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिए राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम किशोरकुमार शर्मा किया जाना सादर प्रार्थनीय है तथा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जाकर रामकिशोर के स्थान पर किशोरकुमार शर्मा दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश फरमाया जाना सादर प्रार्थनीय है। वादी को वाद कारण आज से करीब 7–8 रोज पूर्व वादी द्वारा अपनी भूमि को विकसित करने के लिए बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण लेने की कार्यवाही हेतु बैंक में जाने पर भिन्न भिन्न नाम होने के कारण राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती होने के पश्चात ही किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण देने एवं रिकार्ड में दुरूस्ती करवाये बिना किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण मिलने के कारण उत्पन्न हुआ, जो कि वादकारण क्षण प्रति क्षण निरन्तर रूप से जारी है। अतः दावा पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 858, 860, 861 किता 3 कुल रकबा 0.42 है0 एवं ख.नं. 3155/3907, 4162/3155 किता 2 कुल रकबा 1.3500 है0 तथा ख.नं. 463 रकबा 0.0100 है0 वाके ग्राम खाटूश्यामजी तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में वादी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम रामकिशोर पुत्र गणपतलाल के स्थान पर वादी का सही व वास्तिविक नाम किशोरकुमार शर्मा पुत्र गणपतलाल दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार दांतारामगढ से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि वादी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम रामकिशोर पुत्र गणपतलाल के स्थान पर वादी का सही व वास्तिविक नाम किशोरकुमार शर्मा पुत्र गणपतलाल दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता सं. 790–196–1029 में आवेदक का नाम रामकिशोर पुत्र

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

गणपतलाल रिकार्ड मे दर्ज है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत मतदाता पहचान-पत्र, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पास बुक में आवेदक का नाम किशोर कुमार शर्मा पुत्र गणपतलाल दर्ज है। ग्रामीणों से पूछताछ व वार्ड पार्षद के प्रमाण पत्र में रामकिशोर व किशोर कुमार शर्मा एक ही व्यक्ति के दो नाम है अतः रामकिशोर पुत्र गणपतलाल का नाम रामकिशोर उर्फ किशोर कुमार शर्मा पुत्र गणपतलाल किये जाने कि अभिशंषा की जाती है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि वादी का दावा स्वीकार योग्य है। **वादी का दावा उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 858, 860, 861 किता 3 कुल रकबा 0.42 है0 एवं ख.नं. 3155/3907, 4162/3155 किता 2 कुल रकबा 1.3500 है0 तथा ख.नं. 463 रकबा 0.0100 है0 वाके ग्राम खाटूश्यामजी तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में दर्ज वादी का नाम रामकिशोर पुत्र गणपतलाल के स्थान पर वादी का सही व वास्तिविक नाम रामकिशोर उर्फ किशोरकुमार शर्मा पुत्र गणपतलाल दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 12-07-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

अंतिम डिकी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ,सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

किशोर कुमार शर्मा बनाम तहसीलदार

दावा बाबत उदघोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं0 25 / दावा सन् 2020 निर्णय दिनांक. 12.07.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अशोक कुमार आर.ए.एस बहाजरी **श्री राजेन्द्रसिंह शेखावत** मिनजानिब मुददई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाता है तथा **भूमि खसरा नम्बर 858, 860, 861 किता 3 कुल रकबा 0.42 है0 एवं ख.नं. 3155/3907, 4162/3155 किता 2 कुल रकबा 1.3500 है0 तथा ख.नं. 463 रकबा 0.0100 है0 वाके ग्राम खाटूश्यामजी तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में खातेदार वादी का नाम रामकिशोर पुत्र गणपतलाल के नाम को दुरूस्त कर उसके स्थान पर रामकिशोर उर्फ किशोर कुमार शर्मा पुत्र गणपतलाल संशोधित करने की उदघोषणा की जाती है, शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।**

उपरोक्तानुसार अंतिम डिकी जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख-12.07.2021 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत ओहदा
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा ...	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी ...		
स्टाम्प इजहार सबूत ...	--	--	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील ...	--	--	खर्चा गवाहान ...		
खर्चा गवाहान ...	--	--	फीस कमिश्नर ...		
फीस कमिश्नर ...	--	--	बाबत इजराय हुक्मनामा ...		
बाबत इजराय हुक्मनामा ...	--	--	मुतफर्रिक ...	0	00
मुतफर्रिक ...	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोट: इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ (सीकर)